

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/54/2026-DGTR

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 29.09.2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

सेतु मामला आईडी - CVD/OI/009/2026

विषय: चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम से आंतरिक खांचेदार तांबे की ट्यूबों और पाइपों के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/54/2026-DGTR: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेटट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आंतरिक खांचेदार तांबे की ट्यूबों और पाइपों (जिन्हें इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "IGT" कहा गया है) के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सब्सिडी प्राप्त आयात भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उसने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

2. आवेदक ने कहा है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई निष्कर्षित अथवा जारी व्यापार उपचार जांच नहीं है और तांबे की पाइपों और ट्यूबों के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच, जो दिनांक 31 जनवरी 2022 के अंतिम जांच परिणाम सं. 04/10/2020-DGTR द्वारा समाप्त की गई थी, में उस समय ऐसी वस्तुओं का घरेलू उत्पादन न होने के कारण संबद्ध वस्तु को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु पर कोई पाटनरोधी शुल्क अथवा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लागू नहीं है और तदनुसार वर्तमान आवेदन नियमावली के नियम 6 के अनुसार मूल जांच की शुरुआत के लिए आवेदन है।

क. सब्सिडीकरण का आरोप

3. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों ने संबंधित देशों की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराई गई कार्रवाई योग्य सब्सिडियों का लाभ प्राप्त किया है, जिनमें वे विभिन्न प्रांतीय और नगरपालिकीय सरकारें भी शामिल हैं जहां उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, तथा अन्य "सार्वजनिक निकाय" भी शामिल हैं। आवेदक ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संबंधित कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं और उन अन्य जांच प्राधिकारियों के निर्धारणों पर भरोसा किया है जिन्होंने ऐसी योजनाओं की व्यापक जांच की और प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला।

ख. परामर्श

4. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार (ASCM) के अनुच्छेद 13 के अनुसार जांच-पूर्व परामर्श 03.09.2026 को वियतनाम सरकार के साथ तथा 08.09.2025 को थाईलैंड सरकार के साथ आयोजित किए गए। वियतनाम और थाईलैंड सरकार के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों को रिकॉर्ड पर लिया गया है। चीन सरकार ने जांच-पूर्व परामर्श के अवसर का लाभ नहीं उठाया।

ग. विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "आंतरिक खांचेदार तांबे की ट्यूबें और पाइप" है, जिसे आंतरिक खांचेदार ट्यूब अथवा IGT भी कहा जाता है और बाजार में माइक्रोफिन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। संबद्ध वस्तु तांबे की ऐसी ट्यूबें और पाइप हैं जिनकी

भीतरी सतह पर खांचों अथवा उभारों की श्रृंखला होती है, जो ट्यूब के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाकर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले रेफ्रिजरेट की अशांति को बढ़ाकर उस प्रणाली की ऊष्मा अंतरण दक्षता बढ़ाती है जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तु परिष्कृत तांबे अथवा तांबे की मिश्रधातुओं की हो सकती है; ये खोखले उत्पाद हैं, कॉइल रूप में अथवा बिना कॉइल के, जिनका संपूर्ण लंबाई में केवल एक बंद रिक्त स्थान वाला समान अनुप्रस्थ काट तथा समान दीवार मोटाई होती है; और इनकी आपूर्ति किसी भी कॉइल रूप में की जा सकती है, जिसमें लेवल वाउंड कॉइल, चाहे ETS अथवा ETW पैकेजिंग में हो, तथा जम्बो कॉइल शामिल हैं।

6. संबद्ध वस्तु का उत्पादन साधारण अथवा चिकनी तांबे की ट्यूबों और पाइपों पर अतिरिक्त खांचा बनाने की प्रक्रिया करके किया जाता है। आवेदक ने कहा है कि संबद्ध वस्तु के लिए विशेष मशीनरी, प्रौद्योगिकी और ग्राहक पात्रता आवश्यक होती है; इसकी आपूर्ति मुख्यतः एयर-कंडीशनर और हीट एक्सचेंजर के विनिर्माताओं को की जाती है; और यह साधारण तांबे की ट्यूबों और पाइपों से प्रतिस्थापनीय नहीं है, जिनका उपयोग प्लंबिंग, रेफ्रिजरेशन तथा सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, साधारण अथवा चिकनी तांबे की ट्यूबें और पाइप विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं। हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. संबद्ध वस्तु का उपयोग उसके ऊष्मा अंतरण गुणों के कारण मुख्यतः एयर-कंडीशनर के कंडेन्सर में किया जाता है और इसका उपयोग एयर-कंडीशनर इवैपोरेटर, वॉटर हीटर, ऑटोमोटिव एयर-कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के हीट-पाइप रेडिएटर, सौर उपकरण तथा वाटर-कूल्ड स्कू चिल्ड वाटर यूनिट में भी किया जाता है।
8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (MT) है।
9. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00 और 7411 29 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
10. आवेदक ने उत्पाद नियंत्रण संख्या ("PCN") पद्धति प्रस्तावित नहीं की है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और, यदि आवश्यक है, पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15

दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित की गई हों।

घ. समान वस्तु

11. आवेदक ने कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ड. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

12. आवेदन मेटट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि जांच की अवधि के दौरान वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक था; निसान कॉपर लिमिटेड ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया था; ग्लोबल कॉपर प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू नहीं किया था; तथा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और राम रत्न वायर्स लिमिटेड द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन जांच की अवधि समाप्त होने के बाद ही शुरू हुआ। आवेदन का कोई समर्थक नहीं है और किसी भारतीय उत्पादक ने इसका विरोध नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के समस्त भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है और तदनुसार नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार उसका एक प्रमुख अनुपात है।
13. आवेदक ने प्रकटन किया है कि वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध नहीं है; वह मलेशिया में संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध है; उसने क्षति अवधि, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है, के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया; तथा उसने 2023-24 और जांच की अवधि में मलेशिया से संबद्ध वस्तु का आयात किया, ऐसे आयात मात्रा में सीमित थे और उसके संयंत्र में परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण किए गए थे। आवेदक ने आगे कहा है कि इस प्रकार आयातित सामग्री को बिक्री से पहले आगे

प्रसंस्कृत किया गया था और आयात किसी मूल्य संबंधी विचार के कारण नहीं किए गए थे। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्राधिकारी प्रथम दृष्टया मानते हैं कि यह विश्वास करने अथवा संदेह करने का कोई आधार नहीं है कि संबंध का प्रभाव ऐसा है कि नियमावली के नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण के अनुसार आवेदक असंबद्ध उत्पादकों से भिन्न व्यवहार करे, और इस प्रकार किए गए आयात समान वस्तु के उत्पादक के रूप में आवेदक की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करते हैं। तदनुसार नियमावली के नियम 2(ख) का अपवाद आकर्षित नहीं होता है।

14. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. संबद्ध देश

15. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम हैं।

छ. जांच की अवधि

16. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।

ज. सब्सिडी कार्यक्रम

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों ने संबंधित संबद्ध देशों की सरकारों और/अथवा उनके संबंधित सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रदान की गई अनेक सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त किया है, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है। कथित सब्सिडियों में निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण और निधियों अथवा देयताओं का संभावित प्रत्यक्ष अंतरण; अन्यथा देय सरकारी राजस्व का त्याग अथवा संग्रह न किया जाना; पर्याप्त प्रतिफल से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान; आदि शामिल हैं।
18. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक निम्नलिखित सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करते हैं।

चीन जन. गण.

I. पर्याप्त प्रतिफल से कम पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 1 - पर्याप्त प्रतिफल से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान
कार्यक्रम सं. 2 - राज्य-स्वामित्व वाले उद्यमों (SOEs) के लिए भूमि उपयोग अधिकार

कार्यक्रम सं. 3 - पर्याप्त प्रतिफल से कम पर विद्युत का प्रावधान

कार्यक्रम सं. 4 - पर्याप्त प्रतिफल से कम पर जल का प्रावधान

कार्यक्रम सं. 5 - पर्याप्त प्रतिफल से कम पर कोयले का प्रावधान

कार्यक्रम सं. 6 - पर्याप्त प्रतिफल से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान
- कुछ औद्योगिक क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में भूमि उपयोग अधिकार

कार्यक्रम सं. 7a - पर्याप्त प्रतिफल से कम पर प्राकृतिक गैस का प्रावधान

कार्यक्रम सं. 7b - ईरान, मंगोलिया और रूस से तांबा और निकेल की खरीद पर छूट

कार्यक्रम सं. 8 - शांक्सी प्रांत की 2022 प्रत्यक्ष विद्युत व्यापार कार्यान्वयन योजना

II. त्यागे गए राजस्व के रूप में कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 9 - अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्ययों की कटौती हेतु कर नीतियां

कार्यक्रम सं. 10 - विदेशी निवेशकों द्वारा FIE के लाभ के पुनर्निवेश पर आयकर वापसी

कार्यक्रम सं. 11 - उन्नत प्रौद्योगिकी FIE के लिए आयकर में कमी

कार्यक्रम सं. 12 - FIE, विदेशी उद्यमों तथा चीन में प्रतिष्ठान/व्यावसायिक स्थल रखने वाली और उत्पादन अथवा व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न कुछ घरेलू स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा देश में निर्मित उपकरणों की खरीद हेतु अधिमानी कर नीतियां

कार्यक्रम सं. 13 - FIE के अनुसंधान एवं विकास हेतु अधिमानी कर नीतियां

कार्यक्रम सं. 14 - देश में निर्मित उपकरण खरीदने वाले FIE के लिए VAT वापसी

कार्यक्रम सं. 15 - प्रौद्योगिकी अथवा ज्ञान-प्रधान FIE के लिए कर में कमी

कार्यक्रम सं. 16 - उच्च-प्रौद्योगिकी उपलब्धि वाणिज्यीकरण परियोजनाओं हेतु शंघाई नगरपालिका कर वापसी

- कार्यक्रम सं. 17 - उत्पादक FIE के लिए स्थानीय आयकर एवं कर-कमी कार्यक्रम
- कार्यक्रम सं. 18 - ग्वांगडोंग और हैनान द्वीप के SEZ में स्थानीय आयकर छूट और/अथवा कमी
- कार्यक्रम सं. 19 - शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित FIE के लिए अधिमानी कर नीतियां
- कार्यक्रम सं. 20 - आयातित उपकरणों के लिए टैरिफ और VAT छूट
- कार्यक्रम सं. 21 - उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों के लिए अधिमानी कर नीतियां
- कार्यक्रम सं. 22 - पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें
- कार्यक्रम सं. 23 - अल्प लाभ पर परिचालन करने वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध कर वरीयता
- कार्यक्रम सं. 24 - तियानजिन पोर्ट मुक्त व्यापार क्षेत्र में उद्यम आयकर दर में कमी
- कार्यक्रम सं. 25 - विशेष उपकरणों की खरीद से संबंधित कर क्रेडिट
- कार्यक्रम सं. 26 - संसाधनों के व्यापक उपयोग (विशेष कच्चे माल) में संलग्न उद्यमों के लिए आयकर रियायतें
- कार्यक्रम सं. 27 - विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित विदेशी निवेश वाले उद्यमों और विदेशी उद्यमों के लिए आयकर में कमी
- कार्यक्रम सं. 28 - विदेशी निवेश वाले निर्यात उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियां
- कार्यक्रम सं. 29 - उत्तर-पूर्व क्षेत्र के उद्यमों के लिए अधिमानी आयकर नीति
- कार्यक्रम सं. 30 - पात्र निवासी उद्यमों के बीच लाभांश पर छूट
- कार्यक्रम सं. 31 - तियानजिन बिन्हाई न्यू एरिया तथा तियानजिन आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र में प्रदान की गई सब्सिडियां
- कार्यक्रम सं. 32 - स्थायी परिसंपत्तियों अथवा खरीदे गए सॉफ्टवेयर के लिए त्वरित मूल्यहास अथवा परिशोधन नीति
- कार्यक्रम सं. 33 - शिनजियांग में काशगर और होगोस के दो विशेष आर्थिक विकास क्षेत्रों के लिए कॉरपोरेट आयकर वरीयता
- कार्यक्रम सं. 34 - पात्र बैटरियों और कोटिंग्स के लिए उपभोग कर से छूट
- कार्यक्रम सं. 35 - डीजल और औद्योगिक ईंधन पर उपभोग कर से छूट
- कार्यक्रम सं. 36 - बेरोजगारी बीमा के अंतर्गत रोजगार, पदों की स्थिरता, कौशल सुधार और बेरोजगारी की रोकथाम हेतु कार्यक्रम
- कार्यक्रम सं. 37 - प्रोत्साहित उद्योगों में आयातित उपकरणों पर आयात टैरिफ एवं

मूल्य वर्धित कर से छूट

कार्यक्रम सं. 38 - उद्यम आयकर कानून के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास व्ययों के लिए आयकर कटौती

कार्यक्रम सं. 39 - उत्पादों के उत्पादन हेतु संसाधनों के व्यापक उपयोग के लिए आयकर में कमी

कार्यक्रम सं. 40 - रोजगार विस्तार के लिए एकमुश्त सब्सिडी के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 41 - व्यक्तिगत आयकर प्रतिपूर्ति

कार्यक्रम सं. 42 - बेरोजगारी बीमा तथा कार्य-संबंधी क्षति बीमा प्रीमियम दरों में चरणबद्ध कमी की नीति

कार्यक्रम सं. 43 - ग्वांगझोउ नान्शा में अधिमानी कॉरपोरेट आयकर नीति

कार्यक्रम सं. 44 - केंद्र एवं स्थानीय सरकारों द्वारा निर्धारित प्रदूषक उत्सर्जन मानकों से नीचे रहने वाले उद्यमों के लिए अधिमानी पर्यावरण संरक्षण कर

कार्यक्रम सं. 45 - पश्चिमी क्षेत्रों के लिए अधिमानी कर छूट

कार्यक्रम सं. 46 - वित्तपोषण पर अधिमानी कर व्यवहार

कार्यक्रम सं. 47 - ठोस अपशिष्ट के व्यापक उपयोग हेतु पर्यावरण संरक्षण पर अधिमानी कर व्यवहार

कार्यक्रम सं. 48 - उच्च-प्रौद्योगिकी उद्यमों पर 15% की कम कॉरपोरेट आयकर दर

कार्यक्रम सं. 49 - संसाधनों के व्यापक उपयोग वाले उत्पादों और सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर की वापसी

कार्यक्रम सं. 50 - लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों तथा व्यक्तिगत व्यवसायों के विकास को आगे समर्थन देने हेतु कर एवं शुल्क नीतियां (छह कर और दो शुल्क)

कार्यक्रम सं. 51 - कर्मचारी प्रतिधारण भत्ता

III. अधिमानी ऋण एवं उधार के रूप में कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 52 - अधिमानी ऋण (नीतिगत ऋण सहित)

कार्यक्रम सं. 53 - चाइना एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक से अधिमानी निर्यात वित्तपोषण

कार्यक्रम सं. 54 - SOE के लिए अधिमानी ऋण

कार्यक्रम सं. 55 - ऋण ब्याज के भुगतान हेतु भत्ता

कार्यक्रम सं. 56 - बाह्य निवेश करने वाली कंपनियों के लिए "वन बेल्ट वन रोड"

पहल के अंतर्गत अधिमानी वित्तपोषण
कार्यक्रम सं. 57 - निर्यातक-क्रेता ऋण कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 58 - ऋण ब्याज सब्सिडी

IV. अनुदान के रूप में कार्यक्रम

- कार्यक्रम सं. 59 - प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम/प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों हेतु प्रोत्साहन निधि
कार्यक्रम सं. 60 - पाटनरोधी जांचों हेतु अनुदान
कार्यक्रम सं. 61 - अनुसंधान एवं विकास (R&D) सहायता अनुदान
कार्यक्रम सं. 62 - निर्यात सहायता अनुदान
कार्यक्रम सं. 63 - शेयर सूचीबद्ध कराने हेतु अनुदान
कार्यक्रम सं. 64 - राजकोषीय एवं प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए प्रांतीय निधि के माध्यम से प्रदान किए गए अनुदान
कार्यक्रम सं. 65 - निर्यात कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार निधि
कार्यक्रम सं. 66 - प्रमुख उद्योगों और नवाचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य विशेष निधि
कार्यक्रम सं. 67 - सुपरस्टार उद्यम अनुदान
कार्यक्रम सं. 68 - ग्वांगडोंग प्रांत में उद्योगों के बाह्य विस्तार हेतु निधि
कार्यक्रम सं. 69 - विदेशी व्यापार की स्थिर वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष निधि अनुदान
कार्यक्रम सं. 70 - झोंगशान उद्यमों को घरेलू और विदेशी मेलों में भाग लेने हेतु भत्ता देने संबंधी निधि प्रबंधन के अंतरिम उपाय
कार्यक्रम सं. 71 - ट्रेजरी बॉन्ड ऋण अथवा अनुदान
कार्यक्रम सं. 72 - फुयांग नगर और हांगझोउ नगर को प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
- 1 करोड़ RMB से अधिक कर अदा करने वाले उद्यमों के लिए अनुदान
 - उप-ठेका सेवा निर्यात कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान
 - उत्कृष्ट नए उत्पाद/प्रौद्योगिकी पुरस्कार के अंतर्गत अनुदान
 - प्रमुख उद्योगों हेतु फुयांग नगर सरकार से निवेश अनुदान
 - प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्र संचालित करने वाले उद्यमों के

लिए अनुदान

- f. निर्यात ऋण बीमा शुल्कों पर स्थानीय और प्रांतीय सरकार के प्रतिपूर्ति अनुदान
- g. हांगझोउ प्रीफेक्चर और फुयांग नगर (झेजियांग प्रांत) एवं (आन्हुई प्रांत) से प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) अनुदान

कार्यक्रम सं. 73 - हेबेई प्रांत द्वारा प्रदान किए गए अनुदान

- a. हेबेई प्रांत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान
- b. शिजियाङ्गुआंग नगर सरकार का निर्यात पुरस्कार

कार्यक्रम सं. 74 - शानडोंग प्रांत द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान

- a. प्रमुख उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना हेतु शानडोंग प्रांत की विशेष निधि
- b. प्रमुख ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकी के औद्योगिकीकरण हेतु शानडोंग प्रांत पुरस्कार निधि
- c. शानडोंग प्रांत की पर्यावरण संरक्षण उद्योग अनुसंधान एवं विकास निधियां
- d. प्रमुख उद्योगों के संवर्धन हेतु शानडोंग प्रांत निर्माण निधि

कार्यक्रम सं. 75 - उच्च-प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास निधि की सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 76 - 2010 केंद्रीय बजट में प्रमुख उद्योगों के पुनरुद्धार एवं प्रौद्योगिकी सुधार हेतु निवेश योजना (छठा बैच) की घोषणा

कार्यक्रम सं. 77 - चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के 18वें अनुसंधान संस्थान की परियोजना निधि

कार्यक्रम सं. 78 - प्रसिद्ध ब्रांड

कार्यक्रम सं. 79 - ग्वांगडोंग प्रांत में वायु प्रदूषक उत्सर्जन में कमी हेतु वित्तीय प्रोत्साहन निधियां

कार्यक्रम सं. 80 - उद्यम अनुसंधान एवं विकास हेतु वित्तीय सब्सिडियां

कार्यक्रम सं. 81 - विदेशी व्यापार विकास निधि अनुदान

कार्यक्रम सं. 82 - उन्नत विनिर्माण बजट हेतु निधियां

कार्यक्रम सं. 83 - ग्वांगडोंग इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र पहचान सब्सिडी निधि

कार्यक्रम सं. 84 - ग्वांगडोंग प्रांत सामाजिक बीमा परिसमापन बेरोजगारी सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 85 - उच्च-प्रौद्योगिकी उद्यम संवर्धन निधि

कार्यक्रम सं. 86 - जियांगयिन उद्योग एवं सूचना ब्यूरो विशेष निधि (ऊर्जा बचत)

कार्यक्रम सं. 87 - प्रमुख प्रयोगशालाओं को प्रदत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार निधि 2021

कार्यक्रम सं. 88 - नगरपालिका प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय उपलब्धि रूपांतरण परियोजनाओं/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार हेतु सब्सिडी निधियां/2018-19 में प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेष परियोजनाओं के बाद वित्तपोषण

कार्यक्रम सं. 89 - उद्यम R&D हेतु क्षेत्रीय वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम सं. 90 - 2021 में उद्यम R&D हेतु क्षेत्रीय वित्तीय सहायता

कार्यक्रम सं. 91 - पाटनरोधी/CVD मामलों की प्रतिपूर्ति

कार्यक्रम सं. 92 - बेरोजगारी बीमा की वापसी

कार्यक्रम सं. 93 - लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण गारंटी व्यवसायों के शुल्क में कमी हेतु पुरस्कार सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 94 - शान्तोड नगर कार्य-आधारित प्रशिक्षण सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 95 - शान्तोड व्यापक बंधित क्षेत्र उच्च-स्तरीय प्रतिभा योगदान पुरस्कार निधि

कार्यक्रम सं. 96 - शान्तोड व्यापक बंधित क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन उन्नयन प्रोत्साहन निधि

कार्यक्रम सं. 97 - महाविद्यालय स्नातकों को रोजगार देने हेतु शान्तोड वित्त ब्यूरो रोजगार सब्सिडियां

कार्यक्रम सं. 98 - शान्तोड सामाजिक बीमा निधि प्रशासन बेरोजगारी लाभ सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 99 - लघु एवं मध्यम उद्यमों को बाजार विकसित करने और अन्य परियोजनाओं हेतु सब्सिडियां

कार्यक्रम सं. 100 - हाइकांग जिले में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने तथा गुणवत्ता और दक्षता सुधारने हेतु सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 101 - जियांगसू प्रांत के सुझोउ औद्योगिक पार्क की हरित विकास हेतु विशेष निधि

कार्यक्रम सं. 102 - तीन-स्टार श्रेणी उद्यम/चार-स्टार श्रेणी करदाता उद्यम पुरस्कार

कार्यक्रम सं. 103 - व्यावसायिक कौशल संवर्धन कार्रवाई निधि

कार्यक्रम सं. 104 - प्राप्त विभिन्न सरकारी अनुदान - चीन जन. गण. के

उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त/प्रांतीय और नगरपालिकीय/क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए तदर्थ अनुदान

कार्यक्रम सं. 105 - झेजियांग प्रांत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार

कार्यक्रम सं. 106 - झेजियांग प्रांत मानक नवाचार योगदान पुरस्कार

कार्यक्रम सं. 107 - बुद्धिमान विनिर्माण हेतु अनुदान

V. इक्विटी निवेश के रूप में कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 108 - ऋण का इक्विटी में अदला-बदली

कार्यक्रम सं. 109 - इक्विटी निवेश

कार्यक्रम सं. 110 - अदत्त लाभांश

कार्यक्रम सं. 111 - ऋण माफी

कार्यक्रम सं. 112 - विलय अथवा पुनर्गठन से गुजर रहे SOE के लिए विलेख कर से छूट

VI. निर्यात वित्तपोषण एवं निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 113 - निर्यात विक्रेता ऋण

कार्यक्रम सं. 114 - निर्यात क्रेता ऋण

कार्यक्रम सं. 115 - निर्यात ऋण बीमा सब्सिडियां

कार्यक्रम सं. 116 - राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्तपोषण

कार्यक्रम सं. 117 - चीन सरकार (GOC) द्वारा ऋण गारंटी

थाईलैंड

I. कर प्रोत्साहनों और VAT छूट के रूप में कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 1 - मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट/कमी - निवेश संवर्धन अधिनियम की धारा 28

कार्यक्रम सं. 2 - आयकर से छूट

कार्यक्रम सं. 3 - निवेश संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम के संबंध में छूट; कार्यक्रम सं. 4 - निर्यात हेतु उत्पादन में उपयोग के लिए आयातित कच्चे माल पर आयात शुल्क से

छूट

कार्यक्रम सं. 5 - कच्चे अथवा आवश्यक सामग्रियों पर आयात शुल्क में कमी

कार्यक्रम सं. 6 - BOI-प्रोत्साहित गतिविधियों के लिए कॉरपोरेट आयकर से छूट

कार्यक्रम सं. 7 - निवेश संरक्षण क्षेत्रों में कॉरपोरेट आयकर में 50% कमी

कार्यक्रम सं. 8 - प्रोत्साहित क्षेत्रों में परिवहन, विद्युत और जल आपूर्ति की लागत की आयकर में दोहरी कटौती

कार्यक्रम सं. 9 - प्रतिष्ठानों की स्थापना अथवा निर्माण की लागत की अतिरिक्त 25 प्रतिशत कटौती

कार्यक्रम सं. 10 - कर एवं शुल्क प्रतिपूर्ति/कर कूपन

कार्यक्रम सं. 11 - बंधित गोदामों हेतु आयात/निर्यात शुल्क से छूट

कार्यक्रम सं. 12 - देश के विकास हेतु अवसंरचना गतिविधियों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मूल्यवर्धन करने वाली उन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन जिनमें थाईलैंड में कोई अथवा बहुत कम मौजूदा निवेश है

कार्यक्रम सं. 13 - देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण उच्च-प्रौद्योगिकी गतिविधियों हेतु प्रोत्साहन, जिनमें थाईलैंड में पहले से केवल कुछ निवेश हैं

कार्यक्रम सं. 14 - प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए योग्यता-आधारित प्रोत्साहन

कार्यक्रम सं. 15 - संवर्धन संबंधी विशेषाधिकार

कार्यक्रम सं. 16 - सीमा शुल्क कानूनों की धारा 19 के अंतर्गत शुल्क वापसी

II. मुक्त व्यापार क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 17 - सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय X के अंतर्गत मुक्त व्यापार क्षेत्र

कार्यक्रम सं. 18 - औद्योगिक एस्टेट प्राधिकरण कानून के अंतर्गत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ)

III. पर्याप्त प्रतिफल से कम (LTAR) पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में योजनाएं

कार्यक्रम सं. 19 - LTAR पर विद्युत का प्रावधान

वियतनाम

I. कर प्रोत्साहन और छूट के रूप में चिह्नित कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 1 - कच्चे माल पर आयात शुल्क से छूट अथवा प्रतिपूर्ति

कार्यक्रम सं. 2 - स्थायी परिसंपत्ति सृजित करने हेतु उपकरण और मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट

कार्यक्रम सं. 3 - उद्यमों के लिए उद्यम आयकर प्रोत्साहन

कार्यक्रम सं. 4 - निर्यातित वस्तुओं के विनिर्माण हेतु आयात पर छूट

कार्यक्रम सं. 5 - उद्यम आयकर कानून के अध्याय III के अंतर्गत उद्यम आयकर से छूट

कार्यक्रम सं. 6 - गैर-कृषि भूमि उपयोग कर संबंधी वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन पर परिपत्र सं. 153/2011/TT_BTC के अंतर्गत भूमि उपयोग कर से छूट

कार्यक्रम सं. 7 - उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट आयकर से छूट

II. वित्तपोषण के रूप में चिह्नित कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 8 - निर्यात व्यापार संवर्धन कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 9 - निर्यात सहायता ऋण

कार्यक्रम सं. 10 - वियतनाम विकास बैंक से निर्यात ऋण और ऋण गारंटी दायित्व

कार्यक्रम सं. 11 - वियेटिन बैंक द्वारा निर्यात वित्तपोषण गतिविधि

कार्यक्रम सं. 12 - स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के अंतर्गत ब्याज दर सहायता

III. अनुदान एवं ऋण के रूप में चिह्नित कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 13 - निवेशकों हेतु अधिमानी ऋण/अधिमानी गारंटी

कार्यक्रम सं. 14 - निर्यातकों को अधिमानी ऋण

कार्यक्रम सं. 15 - लघु-मध्यम उद्यमों को सहायता

कार्यक्रम सं. 16 - निवेश ऋण की ब्याज दर

कार्यक्रम सं. 17 - लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यम स्थापित करने में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए निवेश सहायता

कार्यक्रम सं. 18 - वियेटिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटियां

- IV. पर्याप्त प्रतिफल से कम पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में चिह्नित कार्यक्रम
- कार्यक्रम सं. 19 - प्रोत्साहित उद्योगों अथवा औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमों के लिए भूमि संबंधी वरीयता
- कार्यक्रम सं. 20 - जल किराये पर छूट अथवा कमी
- कार्यक्रम सं. 21 - पर्याप्त प्रतिफल से कम पर सरकार द्वारा भूमि का प्रावधान तथा भूमि किराये में छूट अथवा कमी
- कार्यक्रम सं. 22 - LTAR पर विद्युत का प्रावधान
- कार्यक्रम सं. 23 - LTAR पर कोयले का प्रावधान
- कार्यक्रम सं. 24 - LTAR पर प्राकृतिक गैस का प्रावधान

19. यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त योजनाएं सब्सिडियां हैं क्योंकि इनमें संबंधित संबद्ध देशों की सरकारों अथवा उन देशों की अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों, जिनमें सार्वजनिक निकाय भी शामिल हैं, से वित्तीय अंशदान सम्मिलित है और ये प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ताओं को लाभ प्रदान करती हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि ये कुछ उद्यमों अथवा उद्यम-समूहों और/अथवा उत्पादों और/अथवा क्षेत्रों तक सीमित हैं और इसलिए विशिष्ट तथा प्रतिसंतुलन योग्य हैं। कुछ मामलों में यह भी आरोप लगाया गया है कि ये आयातित वस्तुओं की अपेक्षा घरेलू वस्तुओं के उपयोग और/अथवा निर्यात निष्पादन पर निर्भर हैं।
20. उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी अन्य सब्सिडी योजना के संबंध में सूचना प्रदान करें जिसका उन्होंने लाभ प्राप्त किया हो।
21. प्राधिकारी जांच के दौरान ऐसी अन्य सब्सिडियों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जिनका अस्तित्व पाया जाए और जिनका लाभ संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्राप्त किया गया हो।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

22. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सब्सिडी प्राप्त आयात भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ संबद्ध

देशों से आयातों के प्रभाव का नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा (4) के अनुसार संचयी रूप से आकलन किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध डीजी सिस्टम्स के लेन-देनवार आयात आंकड़े प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने तक भारत में संबद्ध वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः आयातों से पूरी होती थी; संबद्ध आयात क्षति अवधि के दौरान बढ़े और जांच की अवधि में भारत की मांग के प्रमुख हिस्से का प्रतिनिधित्व करते रहे; तथा घरेलू उद्योग अपने उत्पादन के प्रथम पूर्ण वर्ष में उस मांग का केवल सीमांत हिस्सा ही प्राप्त कर सका। संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के परिचालन के प्रत्येक वर्ष में उसकी बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति दोनों से कम रहा तथा उसने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की। घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को बिक्री लागत के स्तर तक बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा; संबद्ध वस्तु का उसका उत्पादन खांचा बनाने की प्रक्रिया के लिए स्थापित क्षमता का केवल एक छोटा अनुपात रहा; उसकी मालसूची बढ़ी; तथा उसके परिचालन के दोनों वर्षों में उसका लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋणात्मक रहे।

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया नगण्य नहीं है। नियमावली के अनुबंध-1 को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया मानते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं; संबद्ध आयातों का प्रतिकूल प्रभाव घरेलू उद्योग की कीमतों और उसके द्वारा प्राप्त की जा सकी मात्रा पर उनके प्रभाव के माध्यम से परिलक्षित होता है; और कथित सब्सिडी प्राप्त आयातों तथा ऐसी बाधा के बीच कारणात्मक संबंध के भी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

ज. सब्सिडीरोधी जांच की शुरुआत

24. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियों के अस्तित्व के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों, कथित सब्सिडी प्राप्त आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की स्थापना में परिणामी सारवान बाधा और ऐसी बाधा तथा सब्सिडी प्राप्त आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सब्सिडीकरण के अस्तित्व, मात्रा और

प्रभाव का निर्धारण करने तथा सब्सिडीरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए सब्सिडीरोधी जांच शुरू करते हैं, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

25. आवेदक ने प्राधिकारी से नियमावली के नियम 14 के अनुसार अनंतिम सब्सिडीरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने, मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडीरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन अनुरोधों का निर्धारण जांच की शुरुआत के चरण में नहीं किया जाना है। जांच के उपयुक्त चरण पर, यदि और जिस सीमा तक आवश्यक हो, इन पर विचार किया जाएगा तथा हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

ट. प्रक्रिया

26. इस जांच में नियमावली के नियम 7 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संगत सेतु मामला आईडी- CVD/OI/009/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।
28. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें।
29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<http://dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखें।

ड. समय सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम तथा संगत सेतु मामला आईडी-CVD/OI/009/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), आवेदन के अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां, अन्य बातों के साथ, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित किए जाने वाले सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर, नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, संबंधित निर्धारित कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।
32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
33. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
34. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार

दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय के लिए आगे के विस्तार के अनुरोधों पर, नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

35. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

36. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।
37. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।
38. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
39. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ

यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
41. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्त्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
42. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
43. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
44. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
45. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ग. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

46. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

त. असहयोग

47. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 29-09-2026
19:00:20

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी